राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 59/2025
GCMS No. 2025/144

सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री मदनलाल उम्र 55 साल निवासी ढोसी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

........वादीया

ब–ना–म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व

धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादीया – श्री हवासिंह बबेरवाल

:: निर्णय :: दिनांक :– 09-09-2025

वादीया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 169 खसरा नंबर 755 रकबा 0.70 है., ख.नं. 756 रकबा 0.15 है., ख.नं. 757 रकबा 1.14 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.99 है. भूमि में वादीया के पूर्वज ससुर मूलाराम का हिस्सा 1/2 था जिसके फौत होने पर उनके वारिशान उसकी पत्नी माली देवी व पुत्रान बुद्धराम, मदनलाल, कैलाश, दिनेश प्रत्येक के 1/10, 1/10 हिस्सा आया है जो जमाबन्दी में अंकित है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि में गुलाराम के फौत होने पर उनके वारिशान में वादीया के पति मखनलाल पुत्र गुलाराम नाम सहवन से अंकित किया गया जबकि वादीया के पति का व गुलाराम के द्वितीय पुत्र का नाम मखनलाल ना होकर मदनलाल है जिसको मदनलाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता था। वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में मक्खनलाल पुत्र गुला दर्ज कर दिया गया जबकि वादीया के पति का सही नाम ''मदनलाल पुत्र गुलाराम'' है जो उसके अन्य सभी लोक दस्तावेज/कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास [illegible] कार्ड, पहचान, पत्र विद्युत बिल आदि में दर्ज है। इस प्रकार वादीया [illegible] का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। [illegible] वादीया अपने पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने [illegible] बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 169 खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.26 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

नंबर 755 रकबा 0.70 है., ख.नं. 756 रकबा 0.15 है., ख.नं. 757 रकबा 1.14 है. किता 3 कुल रकबा 1.99 है. भूमि में वादीया के पति कानाम ''मक्खनलाल पुत्र गुला'' के स्थान पर ''मदनलाल पुत्र गुलाराम'' घोषित कर नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/1646 दिनांक 30.06.2025 से पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की मूल जांच रिपोर्ट भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादीया की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 169 ग्राम ढोसी, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मदनलाल प्रेमी पुत्र गुल्लाराम, फोटोत प्रति मतदाता पहचान पत्र, फोटो प्रति पहचान पत्र हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री मदनलाल (पी.डब्ल्यू.–1), खतौनी संवत् 2056–2059 ग्राम ढोसी भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी के पत्र क्रमांकः 1646 दिनांक 30.06.2025 के साथ संलग्न पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादीया के पति का नाम मखनलाल पुत्र गुला के स्थान पर मदनलाल पुत्र गुलाराम किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। साथ ही खतौनी संवत् 2056–2059 ग्राम ढ़ोसी में मदनलाल पि0 गुला दर्ज है। राजस्व ग्राम ढोसी की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 169 में वादीया के पति का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **ढोसी** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 169 में वादीया के पति का वर्तमान में दर्ज नाम **''मखनलाल पुत्र गुला''** के स्थान पर **''मदनलाल पुत्र गुलाराम''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.26 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

सुशीला देवी

ब–ना–म

राज0 सरकार

दावा बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– **59 / 2025** **GCMS No. 2025 / 144**

निर्णय दिनांक :– 09-09-25

वादीया की ओर से **श्री हवासिंह बबेरवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से **स्वयं तहसीलदार** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09-09-25 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 169 में वादीया के पति का वर्तमान में दर्ज नाम "मखनलाल पुत्र गुला" के स्थान पर "मदनलाल पुत्र गुलाराम" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09-09-25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.26 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested